 [20/2/2019] 5

प्रश्न सं. [क्र. 598]

परिशिष्ट का प्रपत्र "एक"

विधान सभा सत्र फरवरी 2019 तारांकित प्रश्न क्रमांक 598 के प्रश्नांश "क" की जानकारी
बैठक दिनांक – 20.02.2019
माननीय सदस्य श्री पुरूषोत्तम तंतुवाय

आधुनिक गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित भोपाल के सदस्यों की जानकारी

क्रं.	नाम	पद	वर्तमान में क्या करते है।
01.	श्री जगदीश हरचंदानी पुत्र श्री बसरमल	अध्यक्ष	शासकीय कर्मचारी
02.	श्री महेश चंद्र उपाध्याय पुत्र श्री नर्मदा प्रसाद	उपाध्यक्ष	सेवानिवृत एस.बी.आई.बैंक
03.	श्री अविनाश व्यास पुत्र श्री भगवती	संचालक	प्राईवेट जाब
04.	श्री गुलाबसिंह पुत्र श्री गोकुल प्रसाद	संचालक	प्राईवेट जाब
05.	श्री एम.डी.त्रिपाठी पुत्र श्री एल.आर. त्रिपाठी	संचालक	स्वयं का व्यवसाय
06.	श्री अनिलकुमार सोलंकी पुत्र श्री एम.एस.सोलंकी	संचालक	स्वयं का व्यवसाय
07.	श्री प्रेमकांत द्विवेदी पुत्र श्री लक्ष्मण प्रसाद	संचालक	सेवानिवृत विधानसभा कर्मचारी
08.	श्री विपिन कुमार पुत्र श्री आर.सी.उपाध्याय	संचालक	स्वयं का व्यवसाय
09.	श्री विरेन्द्रसिंह कुशवाह पुत्र श्री ओमप्रकाश	संचालक	प्राईवेट जाब
10.	श्रीमती आशा भार्गव पत्नि श्री सतीश भार्गव	संचालक	सेवानिवृत एम.पी.ई.बी कर्मचारी
11.	श्रीमती मीनू पंडित पत्नि श्री प्रमोद पंडित	संचालक	गृहणी

संयुक्त आयुक्त
सहकारिता, मध्यप्रदेश

अनुभाग अधिकारी
म० प्र० शासन,
सहकारिता विभाग

परिशिष्ट का प्रपत्र "दो "

विधान सभा सत्र फरवरी 2019 तारांकित प्रश्न क्रमांक 598 के प्रश्नांश "ग" की जानकारी
बैठक दिनांक – 20.02.2019
माननीय सदस्य श्री पुरूषोत्तम तंतुवाय

आधुनिक गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यातिदत भोपाल के विरूद्ध उपायुक्त, सहकारिता जिला भोपाल को प्राप्त शिकायतों की जानकारी

क्र.	प्राप्त शिकायतें एवं शिकायतकर्ता का नाम	शिकायत दिनांक	शिकायत का संक्षिप्त विवरण	की गई कार्यवाही
01	श्रीमती बुधियाबाई / श्री प्रेमनारायण आर्य	आयुक्त सहकारिता के पत्र दि. 14.08.14 से प्राप्त	संस्था द्वारा प्लाट दिलाये जाने बाबत्	उपायुक्त, सहकारिता जिला भोपाल द्वारा पत्र क्र. /जनसुनवाई/2014/3647, भोपाल दिनांक 04.12.14 के द्वारा आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक को प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है जिसमें जांच निष्कर्षों के आधार पर प्रतिवेदित किया गया कि श्रीमती बुधियाबाई के पत्नि श्री प्रेमनारायण आर्य को संस्था द्वारा 25*40 का भूखण्ड अस्थाई तौर पर सशर्त आवंटित किया गया था किन्तु उनके द्वारा संस्था की मांग अनुसार राशि जमा नही की गई। संस्था की प्रबंधकारिणी कमेटी की बैठक दिनांक 20.09.08 के निर्णय अनुसार संस्था द्वारा श्री प्रेमनारायण आर्य की सदस्यता समाप्त की गई। श्री आर्य के द्वारा किसी भी सक्षम न्यायायल में अपील नही की गई है। श्री प्रेमनारायण को संस्था के पत्र दिनांक 23.08.14 से उनकी जमा राशि रू. 1,22,400/– चैक कमांक 066801 दिनांक 23.08.14 उनके पते पर प्रेषित किया गया जिसे उन्होंने लेने से इन्कार करते हुए चैक वापिस किया गया। उपायुक्त सहाकारिता जिला भोपाल से प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था, शासन को अवगत कराया गया था, संस्था के पास भूखण्ड आवंटन हेतु कोई भूखण्ड शेष नही है, मात्र राशि वापस होना है। कार्यालय के पत्र दिनांक 08.06.2018 के द्वारा राशि वापिस करने हेतु पुनः निर्देश दिये गये थे। संस्था द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था के पास वापिस करने हेतु राशि उपलब्ध नही है। संस्था की एफ.डी.आर. रू. 3,66,609/– भोपाल नागरिक बैंक की शाखा मोती मस्जिद में जमा है। बैंक परिसमापन होने के कारण राशि संस्था को वापिस नही मिली है। राशि रिलीज होने पर श्रीमती बुधियाबाई को मय ब्याज के संस्था द्वारा राशि भुगतान कर दी जावेगी।
02		. आयुक्त सहकारिता का पत्र दि. 13.12.17 से प्राप्त		
03		सी.एम. हेल्पलाईन में शिकायत क्र. 5934129 दि. 26. 04.18		

निरंतर – 02

क्र.	प्राप्त शिकायतें एवं शिकायतकर्ता का नाम	शिकायत दिनांक	शिकायत का संक्षिप्त विवरण	की गई कार्यवाही
04	श्री प्रेमकांत द्विवेदी एवं अन्य	दिनांक 30.08.16	संस्था में हो रही वित्तीय अनियमितता एवं व्याप्त अनियमितताओं के संबंध में	शिकायत की जांच श्री ज्ञानचंद पाण्डेय, सहकारी निरीक्षक से कराई गई। जांच प्रतिवेदन में मेंटेनेन्स की राशि एवं व्यय के संबंध में वास्तविकता स्पष्ट हो सके इस हेतु अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत निरीक्षण कराया जाना प्रस्तावित किया गया। उपायुक्त, सहकारिता जिला भोपाल द्वारा आदेश क. /विधि/2017/2638, भोपाल दिनांक 29.08.17 के द्वारा म.प्र.सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 59 के अन्तर्गत जांच हेतु श्री आर.एस. उपाध्याय वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को अधिकृत किया गया है। जांच प्रकियाधीन है। उपायुक्त सहकारिता जिला भोपाल द्वारा पत्र क. /विधि/2019/285, भोपाल दिनांक 05.02.19 के द्वारा स्मरण पत्र जारी किया गया है।
05	श्री विवेक चौबे	दिनांक 25.09.14	भूखण्ड कमांक–ए–22 का नामांतरण एवं संस्था की सदस्यता प्रदान करने बाबत्	संस्था की सदस्यता प्रदान करने एवं भूखण्ड कमांक–ए–22 का नामांतरण करने बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया गया था। उपायुक्त, सहकारिता जिला भोपाल द्वारा पत्र क/गृ.नि./2014/3235, दिनांक 04.10.14 के द्वारा संस्था अध्यक्ष को म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 26 एवं संस्था की नवीन संशोधित उपविधि क. 43(1) एवं 43(2) में वर्णित प्रावधान अनुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिए गये। पुनः उपायुक्त, सहकारिता जिला भोपाल द्वारा पत्र क./गृ.नि./2018/1600, दिनांक 29.05.18 के द्वारा पूर्व में दिए गये निर्देशों का पालन करने हेतु निर्देश दिए गये। संस्था द्वारा प्रस्तुत उत्तर अनुसार कार्यवाही प्रकियाधीन है।
06		05.11.14		
07		02.02.19		

(अरुण कुमार दीक्षित)
अपर आयुक्त
सहकारिता, मध्यप्रदेश

अनुभाग अधिकारी
म० प्र० शासन,
सहकारिता विभाग